न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या :–101/2023 दायर दिनांक– 13.06.2023

GCMS NO:- 2023/183 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

शोराज आ0 रामविलास जाति मीना नि0 ग्राम अरण्या तहसील नैनवॉ।

प्रार्थी

बनाम

1. भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
2. राजस्थान राज्य जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शम्भू लाल नागर।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम अरण्या तहसील नैनवॉ मे भूमि खसरा नम्बर 1332/637, 636, 1306/635 स्थित है जिसका प्रार्थी खातेदार कृषक है एवं भूमि पर काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 636 मे एक मकान बना हुआ है। मौके पर सीमाबंदी नही होने व पत्थरगढी नही होने के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रार्थी अपनी भूमि को सुरक्षित करने के लिए पत्थरगढी कर डोल लगाना चाहता है व तारबंदी करना चाहता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा की प्रति पेश कर धारा 111, 128 एल.आर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। हमने पत्रावली मे संलग्न तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि खसरा नम्बरान 1332/637, 636, 1306/635 की पत्थरगढी करवाना चाहता है, पर संपूर्ण भूमि पर कब्जा ही नही है तथा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 17.6.2025 को न्यायालय मे उपस्थित होकर पत्रावली मे भूमि बैचान किये जाने बाबत् टिप्पणी अंकित की गयी। अतः मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट एवं प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे अंकित टिप्पणी के प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा